अनुबन्ध I
(अध्याय I में पैरा 6 देखें)

लघु जल विद्युत, बायोमास खोई, बायोमास गैर खोई के लेखापरीक्षा हेतु चयनित राज्यवार नमूना

राज्य	लघु जल विद्युत		बायोमास खोई		बायोमास गैर खोई	
	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना
आंध्रप्रदेश	67	7	24	2	10	5
अरूणाचल प्रदेश	187	33	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार	13	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छत्तीसगढ़	2	1	शून्य	शून्य	1	1
गुजरात	5	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हरियाणा	4	शून्य	4	2	17	9
हिमाचल प्रदेश	88	13	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक	87	12	53	5	13	3
केरल	13	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	86	11	शून्य	शून्य	34	6
महाराष्ट्र	46	5	81	8	18	2
मेद्यालय	4	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मिजोरम	11	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नागालैण्ड	1	1	1	1	1	1
ओडिशा	5	1	शून्य	शून्य	1	1
पंजाब	42	4	1	1	24	13
राजस्थान	10	शून्य	14	2	1	1
तमिलनाडु	21	5	95	10	8	4
उत्तरप्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	25	10
उत्तराखण्ड	7	4	3	1	6	1
पश्चिम बंगाल	8	2	शून्य	शून्य	150	15

स्रोत : एमएनआरई

अनुबन्ध ।

(अध्याय । में पैरा 6 देखें)

पवन ऊर्जा कार्यक्रमों के लेखापरीक्षा हेतु चयनित राज्यवार नमूना

राज्य	पवन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जी बी आई)		पवन त्वरित मूल्यहास (ए.डी.)	
	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना
आंध्रप्रदेश	उ.न.	उ.न.	42	4
अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गुजरात	शून्य	शून्य	1,230	62
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक	145	15	शून्य	शून्य
केरल	3	1	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	88	13
महाराष्ट्र *	1,938	100		
मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	2	2
ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राजस्थान	शून्य	शून्य	71	8
तमिलनाडु *	11,598	170		
उत्तरप्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	3	2

स्रोत : एमएनआरई

नोट : उ.न. – उपलब्ध नहीं

* महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में कुल परियोजनाएं इकट्ठी दर्शाई है जैसे जीबीआई और ए डी स्कीम के अन्तर्गत प्रतिस्थापित।

अनुबन्ध I
(अध्याय I में पैरा 6 देखें)
सौर ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के लेखापरीक्षा हेतु चयनित राज्यवार नमूना

	जेएनएनएसएम		स्थानान्तरण		आरपीएसएसजीपी		प्रदर्शन कार्यक्रम		राज्य नीति के अधीन सौर परियोजनाएं	
	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना
आंध्रप्रदेश	5	2	शून्य	शून्य	11	1	1	शून्य	28	4
अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	1	शून्य	शून्य	2	1
गुजरात	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	78	20
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	8	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक	2 *	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	3
केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	69	27
महाराष्ट्र	3	1	3	1	3	3	1	1	2	1
मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	जेएनएनएसएम		स्थानान्तरण		आरपीएसएसजीपी		प्रदर्शन कार्यक्रम		राज्य नीति के अधीन सौर परियोजनाएं	
	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना	कुल परियोजनाएं	चयनित नमूना
ओडिशा	2 *	शून्य	शून्य	शून्य	8	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब	शून्य	शून्य	1	1	7	2	शून्य	शून्य	1	1
राजस्थान	50 *	शून्य	12	शून्य	12	3	2	2	73	19
तमिलनाडु	1	शून्य	शून्य	शून्य	7	2	1	1	शून्य	शून्य
उत्तरप्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	1	1

स्रोत : एमएनआरई, राज्य नोडल अभिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, एवं इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।

* इन सभी राज्यों में एक परियोजना को रदद कर दिया गया है। उपरोक्त के अलावा, एनवीवीएन द्वारा कार्यान्वित 62 जेएनएनएसएम परियोजनाओं मे से 46 परियोजनाएं लेखापरीक्षा के लिए चयनित की गई। एनवीवीएन द्वारा कार्यान्वित 16 स्थानान्तरण परियोजनाओं मे से 9 परियोजनाएं लेखापरीक्षा के लिए चयनित की गई। इसके अलावा आईआरईडीए द्वारा कार्यान्वित 67 आरपीएसएसजीपी परियोजनाओं में से 17 लेखापरीक्षा के लिए चयनित की गई। इसके अलाावा कार्यान्वित कुल छः प्रदर्शन कार्यक्रमों में से, तीन लेखापरीक्षा के लिए चयनित की गई।

अनुबन्ध II
(अध्याय II में पैरा 2.2 देखें)

2010–11 से 2019–20 तक स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं (आरपीओ) के लक्ष्य

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	एनएपीसीसी लक्ष्य	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
1	आंध्रप्रदेश		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
2	अरूणाचल प्रदेश			4.20	5.60	7.00					
3	असम		2.80	4.20	5.60	7.00					
4	बिहार	1.50	3.00	4.00	4.50	5.00	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
5	छत्तीसगढ़	5.00	5.25	5.75	5.75	5.75					
6	गुजरात	5.00	6.00	7.00	7.00	8.00	9.00	10.00			
7	हरियाणा	1.50	1.50	2.05	3.10						
8	हिमाचल प्रदेश	10.00	10.01	10.25	10.25	10.25	11.25	12.25	13.50	14.75	16
9	जम्मू एवं कश्मीर		3.00	5.00	5.00	6.00	7.50	9.00			
10	झारखण्ड	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
11	कर्नाटक		7.25	7.25	7.25						
12	केरल	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00
13	मध्य प्रदेश		2.50	4.00	5.50	7.00					
14	महाराष्ट्र	6.00	7.00	8.00	9.00	9.00	9.00				
15	मेघालय	0.50	0.75	1.00	1.00						
16	मिजोरम	5.00	6.00	7.00							
17	नागालैण्ड	5.00	7.00	8.00							
18	ओडिशा		5.00	5.50	6.00	6.50	7.00				
19	पंजाब		2.40	2.90	3.50	4.00					
20	राजस्थान	8.50	6.00	7.10	8.20						
21	तमिलनाडु		9.00	9.00	9.00	11.00	11.00				
22	उत्तरप्रदेश	3.75	5.00	6.00	6.00						
23	उत्तराखण्ड		4.53	5.05	6.05	7.08	8.10	9.30	11.50		
24	पश्चिम बंगाल				4.00	5.00	6.00	7.00	8.00		

स्रोत : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

नोट : एनएपीसीसी–नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज

अनुबन्ध III
(अध्याय II में पैरा 2.3 देखें)

2010–11 तथा 2013–14 के बीच नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं (आरपीओ) अनुपालन की स्थिति

क्र सं.	अधिसूचित आरपीओ / उपलब्धियां (*प्रतिशत* में)				
	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	एनएपीसीसी	6.00	7.00	8.00	9.00
1	आंध्रप्रदेश		5.00/ उ.न.	5.00/ 1.75	5.00/ उ.न.
2	अरूणाचल प्रदेश			4.20/ 8.41	5.60/ 8.87
3	असम	0/ 8.40	2.80/ 4.02	4.20/ 3.44	5.60/ उ.न.
4	बिहार	1.50/ 1.00	2.50/ 2.10	4.00/ 2.90	4.50/ 1.89
5	छत्तीसगढ़	5.00/ 0	5.25/ 2.76	5.75/ 2.96	6.25/ उ.न.
6	गुजरात	5.00/ 2.76	6.00/ 4.73	7.00/ 6.50	7.00/ 6.72
7	हरियाणा	1.50/ 1.06	1.50/ 1.07	2.05/ 0.97	3.10/ 0.94
8	हिमाचल प्रदेश	10.00/ 12.00	10.01/ 15.73	10.25/ 17.26	10.25/ 16.69
9	जम्मू एवं कश्मीर		3.00/ 0	5.00/ 0	5.00/ 0
10	झारखण्ड	2.00/ 0.19	3.00/ 0.28	4.00/ 0.39	4.00/ 0.42
11	कर्नाटक	0/ 10.70	7.25/ 10.73	7.25/ 9.93	7.25/ 10.97
12	केरल	3.00/ 3.38	3.30/ 2.85	3.60/ 2.47	3.90/ उ.न.
13	मध्य प्रदेश		2.50/ उ.न.	4.00/ उ.न.	5.50/ उ.न.
14	महाराष्ट्र	6.00/ 5.77	7.00/ 7.15	8.00/ 7.05	9.00/ 7.66
15	मिजोरम	0.50/4.14	0.75/3.41	1.00/5.00	1.00/3.80
16	मेघालय	5.00/ 5.14	6.00/ 7.76	7.00/ 14.45	9.00/ 11.99
17	नागालैण्ड	5.00/ 0	5.00/ 0	5.00/ 0	5.00/ 0
18	ओडिशा		5.00/ उ.न.	5.50/ उ.न.	6.00/ उ.न.
19	पंजाब		2.40/ 1.69	2.90/ 2.59	3.50/ 3.08
20	राजस्थान	8.50/ 3.55	6.00/ 5.16	7.10/ 6.30	8.20/ 7.25
21	तमिलनाडु	0/ 17.27	9.00/ 20.09	9.00/ 26.13	9.00/ 20.04
22	उत्तरप्रदेश	3.75/ 4.56	5.00/ 6.19	6.00/ 4.68	6.00/ 4.45
23	उत्तराखण्ड		4.53/ उ.न.	5.05/ 3.78	6.05/3.15
24	पश्चिम बंगाल		2.00/ उ.न.	3.00/ 1.47	4.00/2.54

स्रोत : सम्बन्धित राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत डाटा।
नोट : उ.न. –उपलब्ध नहीं।

अनुबन्ध IV
(अध्याय II में पैरा 2.4 देखें)

नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं (आर पी ओ) की राज्यवार उपलब्धियाँ

राज्य	2010–14 के दौरान कुल विद्युत खरीद (बी.यू.)	2010–14 के आरपीओ लक्ष्य (एम.यू. में)	नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के माध्यम से प्राप्त आरपीओ		नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों विधि के माध्यम से प्राप्त आरपीओ (एम.यू. में)		कुल आरपीओ उपलब्धि (एम.यू. में)	कमी (एम.यू. में)
			(एम.यू में)	*प्रतिशत*	(एम.यू. में)	*प्रतिशत*		
आंध्रप्रदेश	76	3,800	1,330	100	शून्य	शून्य	1,330	2,470
अरूणाचल प्रदेश	2.36	58.31	102.78	100	शून्य	शून्य	102.78	शून्य
असम	12.64	434.79	17.09	100	शून्य	शून्य	17.09	417.70
बिहार	24.21	793.32	488.72	100	शून्य	शून्य	488.72	304.60
छत्तीसगढ़	41.09	2,266.82	1,090	92.37	90	7.63	1,180	1,086.82
गुजरात	287.04	18,990	8,620	56.89	6,530	43.11	15,150	3,840
हरियाणा	144.56	2,981	1,452	100	शून्य	शून्य	1,452	1,529
हिमाचल प्रदेश	30.02	5,000	4,620	100	शून्य	शून्य	4,620	380
जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
झारखण्ड	39.96	1,319.36	39.36	100	शून्य	शून्य	39.36	1,280
कर्नाटक	214.70	15,020	22,712	100	शून्य	शून्य	22,712	शून्य
केरल	45.95	1,490	1,320	100	शून्य	शून्य	1,320	170
मध्य प्रदेश	181.94	6,350	2,480	100	शून्य	शून्य	2,480	3,870
महाराष्ट्र	373.84	28,252.59	25,675.09	98.86	296.49	1.14	25,971.58	2,281.01
मेद्यालय	6.96	57.20	290	100	शून्य	शून्य	290	शून्य
मिजोरम	1.62	110.81	161.27	100	शून्य	शून्य	161.27	शून्य
नागालैण्ड	1.98	99.09	99.09	100	शून्य	शून्य	99.09	शून्य
ओडिशा	उ.न.	2469	1706	100	शून्य	शून्य	1706	763
पंजाब	131.68	3,888	2,900	89	368	11	3,268	620
राजस्थान	210.03	15,621	11,949	100	शून्य	शून्य	11,949	3,672
तमिलनाडु	203.15	13,740	42,359	100	शून्य	शून्य	42,359	शून्य
उत्तरप्रदेश	291.05	17,738.84	15,053.26	100	शून्य	शून्य	15,053.26	2,685.58
उत्तराखण्ड	32.87	1,714.52	1,219.29	90.76	124.12	9.24	1,343.41	371.11
पश्चिम बंगाल	154.69	5,030.06	2536.19	99.99	2.81	0.1	2,539	2,491.06
जोड़			148220.14	95.23	7411.42	4.77	155631.56	28231.88

नोट : उ.न. –उपलब्ध नहीं।

अनुबन्ध V

(अध्याय II में पैरा 2.5 देखें)

नवीकरणीय खरीद बाध्यता का पालन न करने के लिए बाध्य संस्थाओं पर जुर्माना नहीं लगाना

राज्य	कमी (एम.यू.में)	उपचित * जुर्माना (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
आंध्रप्रदेश	2,470.00	370.50	2012–13 अवधि के लिए ₹ 1500 प्रति आरईसी की दर पर गैर सौर के लिए जुर्माना
अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	कोई कमी नहीं
असम	417.70	62.66	2011–13 अवधि के लिए
बिहार	304.60	45.69	बीईआरसी ने कमी के लिए ₹ 21.08 करोड़ की अलग निधि बनाने का आदेश दिया तथापि यह 2010–14 की अवधि के लिए अब तक किया नहीं गया है।
छत्तीसगढ़	1,086.82	163.02	2011–13 की अवधि के लिए
गुजरात	3,840.00	576.00	आरपीओ पूरे करने का मामला जीईआरसी द्वारा निर्णय हेतु (2014 की याचिका सं. 1437 और 1442) रखी गई है। 2010–14 की अवधि के लिए
हरियाणा	1529.00	229.35	2010–14 की अवधि के लिए
हिमाचल प्रदेश	380.00	57.00	2010–14 की अवधि के लिए
जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	
झारखण्ड	1,280.00	192.00	2010–14 की अवधि के लिए
कर्नाटक	शून्य	शून्य	2007–14 की अवधि के लिए। आरई धनी राज्य होने पर आरपीओ लक्ष्य पूरे किए। तथापि केईआरसी ने अननुपालन के लिए शास्ति निर्धारित नहीं की है।
केरल	170.00	25.50	2010–14 की अवधि के लिए
मध्य प्रदेश	3,870.00	580.50	2007–14 की अवधि के लिए
महाराष्ट्र	2,281.01	342.15	गैर सौर परियोजनाओं के लिए 2013–14 और सौर परियोजनाओ के लिए 2015–16 तक समय वृद्धि कमी पूरी करने के लिए एमईआरसी द्वारा दी गई हैं।
मेद्यालय	शून्य	शून्य	2010–14 के लिए कोई कमी नहीं है
मिजोरम	शून्य	शून्य	2010–14 के लिए कोई कमी नहीं है
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	कोई कमी नहीं
ओडिशा	763.00	114.45	2012–14 की अवधि के लिए
पंजाब	620.00	93.00	2012–14 की अवधि के लिए
राजस्थान	3,672.00	550.80	2007–14 की अवधि के लिए। आरआरईसी ने कमी के लिए जुर्माने की मात्रा निर्धारित नहीं की है।
तमिलनाडु	शून्य	शून्य	कोई कमी नहीं है
उत्तरप्रदेश	2,685.58	402.84	अननुपालन की जुर्माना लगाने का कोई खण्ड नहीं 2010–14 के लिए
उत्तराखण्ड	371.11	55.67	यूईआरसी ने यूपीसीएल पर ₹ 20,000 की सांकेतिक शास्ति उदग्रहीत की है। हाल ही में इसने विव 2014–15 को अपूर्त आरपीओ आगे ले जाना अनुमत किया है।
पश्चिम बंगाल	2,491.06	373.66	2010–14 के लिए
जोड़	**28,231.88**	**4,234.79**	

* प्रति आर ई सी ₹ 1500 न्यूनतम मूल्य पर गणना की।

नोट : उ.न. –उपलब्ध नहीं।

अनुबन्ध VI
(अध्याय II का पैरा 3.1 देखें)

जुलाई 2014 को सौर और गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणक (आरईसी) के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं की राज्यवार सूची

राज्य	सौर आरईसी के अधीन पंजीकृत परियोजनाएं		गैर सौर आईईसी के अधीन पंजीकृत परियोजनाएं		आरईसी के अधीन पंजीकृत कुल परियोजनाएं	
	संख्या	क्षमता (मेगावाट में)	संख्या	क्षमता (मेगावाट में)	संख्या	क्षमता (मेगावाट में)
आंध्रप्रदेश	7	37.79	14	124.80	21	162.59
बिहार	0	0	5	26.60	5	26.60
छत्तीसगढ़	2	3.1	8	86.50	10	89.60
गुजरात	0	0	47	336.30	47	336.30
हरियाणा	0	0	6	18.56	6	18.56
हिमाचल प्रदेश	0	0	7	55.51	7	55.51
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	1	15	1	15
कर्नाटक	0	0	15	137.25	15	137.25
केरल	0	0	2	23.20	2	23.20
मध्य प्रदेश	53	83.77	9	63.17	62	146.94
महाराष्ट्र	29	45.75	324	845.84	353	891.59
नागालैण्ड	0	0	1	24	1	24
ओडिशा	1	2.50	2	30.40	3	32.90
पंजाब	0	0	6	53.28	6	53.28
राजस्थान	59	159.12	20	141	79	300.12
तमिलनाडु	13	36.86	214	1,018.85	227	1,055.71
उत्तरप्रदेश	0	0	53	678.13	53	678.13
उत्तराखण्ड	0	0	3	44	3	44
जोड़	**164**	**368.89**	**737**	**3,722.39**	**901**	**4,091.28**

स्रोत : भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणक रजिस्ट्री

अनुबन्ध VII

(अध्याय III में पैरा 2 देखें)

31 मार्च 2014 को अनुमानित सम्भावना, निर्धारित लक्ष्य और संस्थापित सौर विद्युत क्षमता

कं. सं.	राज्य	अनुमानित सम्भावना [1] (मे.वा. में)	निर्धारित लक्ष्य (2007–14) (मे.वा. में)	एमएनआरई के अनुसार संस्थापित क्षमता (मे.वा. में)	राज्यों /यूटी के अनुसार संस्थापित क्षमता (मे.वा. में)	*प्रतिशत* संस्थापित अनुमानित सम्भावना
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(iii) x 100/(i)
1.	आंध्रप्रदेश	58,850	शून्य	131.84	95.98	0.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	8,650	शून्य	0.03	शून्य	शून्य
3.	असम	13,760	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	11,200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	18,270	शून्य	7.10	9.60	0.04
6.	दिल्ली	2,050	-	5.15	-	0.25
7.	गोवा	880	-	शून्य	-	शून्य
8.	गुजरात	35,770	शून्य	916.40	891.16	2.56
9.	हरियाणा	4,560	शून्य	10.30	12.80	0.23
10.	हिमाचल प्रदेश	33,840	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1,11,050	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	झारखण्ड	18,180	शून्य	16.00	16.00	0.09
13.	कर्नाटक	24,700	256.00	31.00	31.00	0.13
14.	केरल	6,110	शून्य	0.03	शून्य	शून्य
15.	मध्यप्रदेश	61,660	748.38	347.17	272.77	0.56
16.	महाराष्ट्र	64,320	225.00	249.25	230.25	0.39
17.	मणिपुर	10,630	-	शून्य	-	शून्य
18.	मेद्यालय	5,860	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मिजोरम	9,090	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	नागालैण्ड	7,290	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	ओडिशा	25,780	शून्य	30.50	13.00	0.12
22.	पंजाब	2,810	1,000	16.85	10.50	0.60
23.	राजस्थान	1,42,310	1380	730.10	725.50	0.51
24.	सिक्किम	4,940	-	शून्य	-	शून्य
25.	तमिलनाडु	17,670	700	98.36	97.00	0.56
26.	त्रिपुरा	2,080	-	शून्य	-	शून्य
27.	उत्तरप्रदेश	22,830	शून्य	21.08	शून्य	0.09
28.	उत्तराखण्ड	16,800	शून्य	5.05	5.00	0.03
29.	पश्चिम बंगाल	6,260	100	7.05	2.00	0.11
30.	यूटी[2]	790	-	7.88		1.00
	जोड़	**7,48,990**	**4,409.38**	**2,631.14[3]**	**2,412.56**	0.35

स्रोत : एसएनएएस और एम एन आर ई.

[1] राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार।

[2] अण्डमान एंव निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

[3] यद्यपि, एम एन आर ई के अनुसार वर्षवार संस्थापित क्षमता 2,656 मेगावाट थी।

अनुबन्ध VIII
(अध्याय III में पैरा 4.1.2 देखें)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) द्वारा काटे गए वर्षवार परियोजना वार सेवा प्रभार

(₹ में)

वर्ष/परियोजना प्रस्तावक का नाम	मै. रिलायंस इण्डस्ट्रीज			मै. सैफायर इंड्रसट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड			मै. पार सोलर प्रा. लिमिटेड		
	(आईआरईडीए) द्वारा प्रभारित सेवा प्रभार	अधिकतम सीमा	(आईआरईडीए) द्वारा अधिक प्रभारित	(आईआरईडीए) द्वारा प्रभारित सेवा प्रभार	अधिकतम सीमा	(आईआरईडीए) द्वारा अधिक प्रभारित	(आईआरईडीए) द्वारा प्रभारित सेवा प्रभार	अधिकतम सीमा	(आईआरईडीए) द्वारा अधिक प्रभारित
2011-12	15,67,647	5,00,000	10,67,647	10,79,545	5,00,000	5,79,545	0	0	0
2012-13	6,81,052	5,00,000	1,81,052	36,751	5,00,000	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	10,54,562	5,00,000	5,54,562	8,56,391	5,00,000	3,56,391
Total	22,48,699	10,00,000	12,48,699	21,70,858		11,34,107	8,56,391		3,56,391
2014–15 में समायोजित			0	(6,21,619)			(2,89,501)		

2011–14 के दौरान आईआरईडीए द्वारा अधिक प्रभारित कुल ₹ (12,48,699 + 11,34,107 + 3,56,391) = ₹ 27.39 लाख

अनुबन्ध IX
(अध्याय III में पैरा 4.4.6 देखें)

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) में एकत्रित विद्युत आपूर्ति में विलम्ब का ब्यौरा

योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या	योजनाओं के प्रतिष्ठापन की तारीख	एनटीपीसी ताप विद्युत का आबंटन प्रभावी बनाया गया	दिनों की संख्या, जिनके लिए एनवीवीएन ने केवल सौर विद्युत आपूर्ति की (ताप विद्युत से मिले बिना)
स्थानान्तरण	7	10–15 अक्तूबर 2011 एवं 20 नवम्बर 2011	26 अक्तूबर 2011 एवं 14 दिसम्बर 2011	11 से 24 दिन
जेएनएनएसएम का बैच–I	8	1 जनवरी 2012 से 10 जनवरी 2012	21 जनवरी 2012	11 से 20 दिन
जेएनएनएसएम का बैच–I	5	2 फरवरी 2012 से 22 मार्च 2012	11 जुलाई 2012	111 से 160 दिन
जेएनएनएसएम का बैच–II	8	23 दिसम्बर 2012 से 13 फरवरी 2013	1 मार्च 2013	16 से 68 दिन
जेएनएनएसएम का बैच–II	17	11 फरवरी 2013 से 26 मार्च 2013	6 अप्रैल 2013	11 से 54 दिन

अनुबन्ध X

(अध्याय V का पैरा 2.3 देखें)

लघु जल विद्युत की राज्यवार अनुमानित संभावना और प्रतिष्ठापित क्षमताएं

क्र सं.	राज्य	अनुमानित संभावना		प्रतिष्ठापित क्षमता		प्रयुक्त स्थल *प्रतिशत*	प्रतिष्ठापित क्षमता *प्रतिशत*
		स्थलो की संख्या	क्षमता (मे.वा. में)	स्थलो की संख्या	क्षमता (मे.वा. में)		
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7	7.91	1	5.25	14	66
2	आंध्रप्रदेश	387	978.40	68	221.03	18	23
3	अरूणाचल प्रदेश	677	1,341.38	149	103.905	22	8
4	असम	119	238.69	6	34.11	5	14
5	बिहार	93	223.05	29	70.7	31	32
6	छत्तीसगढ़	200	1,107.15	9	52	5	5
7	गोवा	6	6.50	1	0.05	17	1
8	गुजरात	292	201.97	5	15.6	2	8
9	हरियाणा	33	110.05	7	70.1	21	64
10	हिमाचल प्रदेश	531	2,397.91	158	638.905	30	27
11	जम्मू एवं कश्मीर	245	1,430.67	37	147.53	15	10
12	झारखंड	103	208.95	6	4.05	6	2
13	कर्नाटक	834	4,141.12	147	1,031.658	18	25
14	केरल	245	704.10	25	158.42	10	22
15	मध्यप्रदेश	299	820.44	11	86.16	4	11
16	महाराष्ट्र	274	794.33	58	327.425	21	41
17	मणिपुर	114	109.13	8	5.45	7	5
18	मेघालय	97	230.05	4	31.03	4	13
19	मिजोरम	72	168.90	18	36.47	25	22
20	नागालैण्ड	99	196.98	11	29.67	11	15
21	ओडिशा	222	295.47	10	64.625	5	22
22	पंजाब	259	441.38	47	156.2	18	35
23	राजस्थान	66	57.17	10	23.85	15	42
24	सिक्किम	88	266.64	17	52.11	19	20
25	तमिलनाडु	197	659.51	21	123.05	11	19
26	त्रिपुरा	13	46.86	3	16.01	23	34
27	उत्तर प्रदेश	251	460.75	9	25.1	4	5
28	उत्तराखण्ड	448	1,707.87	99	174.82	22	10
29	पश्चिम बंगाल	203	396.11	23	98.4	11	25
	जोड़	**6,474**	**19,749.44**	**997**	**3,803.678**	**15**	**19**

स्रोत : एमएनआरई।

नोट : चण्डीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, दिल्ली, लक्षदीप और पुडुचेरी के लिए कोई एसएचपी नही पाया गया।

अनुबन्ध XI
(अध्याय VII को पैरा 2.2 देखें)

गैर सम्बद्ध नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों के भौतिक लक्ष्य और प्राप्तियां (2007–14)

क्र सं.	राज्य	लक्ष्य और प्राप्ति	सौर लालटेन (संख्या)	सौर घर प्रकाश (संख्या)	सौर सड़क प्रकाश (संख्या)	सौर जल पम्प (संख्या)	सौर विद्युत संयंत्र (के.वा./संख्या)	सौर जल तापन (वर्ग.मी./एलपीडी/संख्या)
1	आंध्रप्रदेश	लक्ष्य	30,625	150	3,156	उ.न.	उ.न.	88,934
		प्राप्ति	29,117	21	2,845	5	1,581.83 कि.वा.	22,633
2	अरूणाचल प्रदेश	लक्ष्य	4,000	5,579	300	उ.न.	2	उ.न.
		प्राप्ति	4,000	5,579	300	शून्य	2	शून्य
3	असम	लक्ष्य	500	1,041	638	उ.न.	638 कि.वा.	6,597 (वर्ग मी.)
		प्राप्ति	शून्य	291	588	शून्य	220 कि.वा.	648 (वर्ग मी.)
4	बिहार	लक्ष्य	17,700	8,600	1,189	1,560	100 कि.वा.	15,000 एलपीडी
		प्राप्ति	17,700	8,600	1,089	1,300	100 कि.वा.	9,400 एलपीडी
5	छत्तीसगढ़	लक्ष्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
		प्राप्ति	8,412	3,821	3,074	1, 834	4,640 कि.वा.	2,793
6	गुजरात	लक्ष्य	उ.न.	3,058	उ.न.	उ.न.	57	19,675
		प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	40	12,936
7	हरियाणा	लक्ष्य	43,591	17,879	32,787	74	169	30,00,000 एलपीडी
		प्राप्ति	43,591	13,185	31,497	74	36	26,15,000 एलपीडी
8	हिमाचल प्रदेश	लक्ष्य	16,052	2,040	35,062	उ.न.	2,825 कि.वा.	33,773 (वर्ग मी.)
		प्राप्ति	12,292	2,040	35,062	शून्य	2,825 कि.वा.	15,889 (वर्ग मी.)
9	जम्मू एवं कश्मीर	लक्ष्य	15,150	32,500	300	उ.न.	4,473.30 कि.वा.	21,660 (वर्ग मी.)
		प्राप्ति	14,347	21,550	210	शून्य	2,154.30 कि.वा.	2,464 (वर्ग मी.)

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य और प्राप्ति	सौर लालटेन (संख्या)	सौर घर प्रकाश (संख्या)	सौर सड़क प्रकाश (संख्या)	सौर जल पम्प (संख्या)	सौर विद्युत संयंत्र (के.वा./संख्या)	सौर जल तापन (वर्ग.मी./एलपीडी/संख्या)
10	झारखण्ड	लक्ष्य	7,000	उ.न.	7,000	77	5,060 कि.वा.	250
		प्राप्ति	7,000	शून्य	3,467	शून्य	230 कि.वा.	81
11	कर्नाटक	लक्ष्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
		प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	98
12	केरल	लक्ष्य	उ.न.	4,704	1,400	उ.न.	11,780.65 कि.वा.	7,955 (वर्ग मी.)
		प्राप्ति	शून्य	4,704	579	शून्य	6,703.36 कि.वा.	3,428 (वर्ग मी.)
13	मध्यप्रदेश	लक्ष्य	उ.न.	4,700	12,979	04	1,586	843
		प्राप्ति	शून्य	3,805	12,875	04	576	843
14	महाराष्ट्र	लक्ष्य	60,000	274	1,173	उ.न.	उ.न.	123 (वर्ग मी.)
		प्राप्ति	60,000	274	1,173	शून्य	शून्य	123 (वर्ग मी.)
15	मेघालय	लक्ष्य	326356	126156	156132	उ.न.	422	186
		प्राप्ति	330	128130	134128	शून्य	424	186
16	मिजोरम	लक्ष्य	उ.न.	उ.न.	1,000	उ.न.	41	उ.न.
		प्राप्ति	2,181	4,004	शून्य	शून्य	41	922
17	नागालैण्ड	लक्ष्य	उ.न.	उ.न.	4,200	उ.न.	57	उ.न.
		प्राप्ति	5,503	2,791	3,816	शून्य	55	1,232
18	ओडिशा	लक्ष्य	उ.न.	1,000	180	उ.न.	उ.न.	4,000 (वर्ग मी.)
		प्राप्ति	शून्य	476	214	शून्य	70	722 (वर्ग मी.)
19	पंजाब	लक्ष्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	600	उ.न.	17,00,000 एलपीडी
		प्राप्ति	2,438	4,500	3,866	100	1,120 कि.वा.	8,42,000 एलपीडी
20	राजस्थान	लक्ष्य	उ.न.	71,391	उ.न.	15,550	7	5,100

क्र सं.	राज्य	लक्ष्य और प्राप्ति	सौर लालटेन (संख्या)	सौर घर प्रकाश (संख्या)	सौर सड़क प्रकाश (संख्या)	सौर जल पम्प (संख्या)	सौर विद्युत संयंत्र (के.वा./संख्या)	सौर जल तापन (वर्ग.मी./एलपीडी/संख्या)
		प्राप्ति	शून्य	67,587	90	14,414	7	2,015
21	तमिलनाडु	लक्ष्य	उ.न.	1,80,000	60,000	500	6,000 कि.वा.	50,000 (वर्ग मी.)
		प्राप्ति	शून्य	78,343	21,130	134	2,055 कि.वा.	28,932 (वर्ग मी.)
22	उत्तरप्रदेश	लक्ष्य	उ.न.	13,164	1,24,344	900	981	23,64,000 एलपीडी
		प्राप्ति	शून्य	11,874	1,02,975	567	691	14,80,500 एलपीडी
23	उत्तराखण्ड	लक्ष्य	1,13,259	9,985	18,543	उ.न.	19	7
		प्राप्ति	1,13,259	9,985	18,143	शून्य	19	7
24	पश्चिम बंगाल	लक्ष्य	15000	34783	8325	शून्य	101	500
		प्राप्ति	13035	28771	6325	1	71	137

नोट – उ.न. उपलब्ध नहीं, संख्या, एलपीडी –लीटर प्रतिदिन, वर्ग. मी. –वर्ग मीटर, एसएचएलएस – सौर घर प्रकाश संयन्त्र, एसएसएलएस – सौर सड़क प्रकाश संयन्त्र, एसपीपी – सौर जल प्लांट, एस एल – सौर लालटेन और एस डब्ल्यूपी–सौर जल पम्प।

अनुबन्ध XII
(अध्याय VII का पैरा 3 देखें)
राज्यों को जारी केन्द्रीय आर्थिक सहायता (सी एफ ए) और अव्ययित शेषों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	प्रारम्भिक शेष	बजट			कुल बजट	व्यय	अव्ययित शेष	वापसियाँ
			सीएफए	राज्य हिस्सा	अन्य				
1	आंध्रप्रदेश	शून्य	15.36	शून्य	शून्य	15.36	8.36	7	शून्य
2	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	26.48	1.05	शून्य	27.53	27.93	(-) 0.40	शून्य
3	असम	शून्य	7.8	0.74	शून्य	8.54	4.88	3.66	शून्य
4	बिहार	शून्य	5.96	68.13	22.01	96.11	34.77	61.34	शून्य
5	छत्तीसगढ़	शून्य	137.29	87.34	शून्य	224.63	419.93	(-)195.3	शून्य
6	गुजरात	शून्य	17.07	0.87	शून्य	17.94	12.21	5.73	0.45
7	हरियाणा	शून्य	31.49	33.91	शून्य	65.4	62.66	2.74	शून्य
8	हिमाचल प्रदेश	शून्य	52.03	1.20	7.21	60.44	89.56	(-)29.12	शून्य
9	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	38.05	26.17	शून्य	64.22	61.25	2.97	शून्य
10	झारखण्ड	शून्य	15.44	81.45	14.47	111.36	76.88	34.48	शून्य
11	कर्नाटक	शून्य	3.45	शून्य	शून्य	3.45	शून्य	3.45	शून्य
12	केरल	शून्य	7.67	16.55	0.51	24.73	46.5	(-)21.77	शून्य
13	मध्य प्रदेश	शून्य	27.29	13.42	शून्य	40.71	44.44	(-)3.73	शून्य
14	महाराष्ट्र	शून्य	40.98	शून्य	शून्य	40.98	40.98	शून्य	शून्य
15	मेघालय	शून्य	22.46	1.96	शून्य	24.42	28.53	(-)4.11	शून्य
16	मिजोरम	शून्य	6.57	4.95	2.15	13.67	13.67	शून्य	शून्य

क्रं.सं.	राज्य	प्रारम्भिक शेष	बजट			कुल बजट	व्यय	अव्ययित शेष	वापसियाँ
			सीएफए	राज्य हिस्सा	अन्य				
17	नागालैण्ड	शून्य	16.06	11.62	शून्य	27.68	24.33	3.35	शून्य
18	ओडिशा	शून्य	1.76	10.75	शून्य	12.51	6.62	5.89	शून्य
19	पंजाब	शून्य	20.66	1.42	शून्य	22.08	21.88	0.20	शून्य
20	राजस्थान	शून्य	117.11	12.66	शून्य	129.77	112.43	17.34	शून्य
21	तमिलनाडु	शून्य	56.93	157.6	शून्य	214.53	214.53	शून्य	शून्य
22	उत्तर प्रदेश	शून्य	72.75	114.11	शून्य	186.86	185.45	1.41	शून्य
23	उत्तराखण्ड	10.87	87.52	28.24	51.90	167.66	164.93	2.73	शून्य
24	पश्चिम बंगाल	शून्य	35.94	32.45	16.11	84.5	78.87	5.63	शून्य
	जोड़	**10.87**	**864.12**	**706.59**	**114.36**	**1,685.07**	**1781.58**	**(-) 96.51**	**0.45**

अनुबन्ध XIII

(अध्याय VII में पैरा 4.4 देखें)

लेखापरीक्षा द्वारा ग्रिड से अलग प्रणालियों के भौतिक सत्यापन के ब्यौरे

प्रणाली का प्रकार	स्थान एवं संस्थापन वर्ष	निरीक्षित प्रणालियों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति
आंध्रप्रदेश			
एसएचएलएस एवं एसएसएलएस	सुददाकुन्ता गांव 2008–09	284 एसएचएलएस और 34 एसएसएलएस	विद्युतीकृत पांच परिवारों में से कोई रह नहीं रहा था और एक गृह स्वामी वेंकटाड्रिपलम गांव में रह रहा था।
एसएचएलएस एवं एसएसएलएस	बिल्लागोण्डी पुरवा	37 एसएचएलएस और 4 एसएसएलएस	37 एसएचएलएस और 2 एसएसएलएस कार्यरत नहीं थे।
असम			
एसएचएलएस	2009 से 2013	48	30 कार्यरत नहीं थे। अनेक मामलों में लाभार्थी सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्ति से अवगत नहीं थे और पाँच मामलों में जहॉ एईडीए ने सूचित किया था वहॉ कार्रवाई अभी की जानी थी।
अरूणाचल प्रदेश			
एसएसएलएस	पूर्वी सियांग 2007 एवं 2009	15	2 कार्यरत नहीं थे और 13 गायब थे।
एसएसएलएस	2010 एवं 2011	25	6 कार्यरत नहीं थे और 6 गायब थे। गायब प्रणालियों के लिए पुलिस में एफआईआर लिखाई गई थी। पूर्तिकर्ताओं अथवा अपेडा द्वारा कोई अनुरक्षण नहीं किया गया था।
एसएचएलएस	11 गॉव 2005, 2006, 2007, 2010 & 2012	163	87 कार्यरत नहीं थे और 23 गायब थे।
एसएचएलएस	पपुम्पारे पूर्वी सियांग तथा तवांग 2012 एवं 2010	किमिन गांव में 63, श्योरा गांव में 67 और देविंग गांव में 79	यद्यपि गांव आरजीजीवीवाई के अधीन विद्युतीकृत थे, फिर भी एसएचएलएस जारी किए गए थे।
एसएल	4 गांव 1999 एवं 2007	26	23 कार्यरत नहीं थे।
बिहार			
एसएसएलएस	दस जिले	519	353 कार्यरत नहीं थे और 29 प्राप्त नहीं हुए थे।
एसएचएलएस	दस जिले	65	21 कार्यरत नहीं थे और 8 प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष 2010–11 के दौरान वैशाली जिले में 30 एसएचएलएस के संबंध में अभिलेख पर प्रापक के हस्ताक्षर नहीं थे।
एसएसएलएस	छ : जिले[1]	9	4 कार्यरत नहीं थे।

[1] पूर्वी चम्पारन, गया, नालन्दा (बिहार शरीफ), पटना, वैशाली (हाजीपुर), पश्चिम चम्पारन (बेतिया)।

प्रणाली का प्रकार	स्थान एवं संस्थापन वर्ष	निरीक्षित प्रणालियों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति
छत्तीसगढ़			
एसडब्ल्यूपी	2004–2005 से 2012–2013	69	माडयूलों की चोरी और अन्य कारणों से 32 कार्यरत नही थे।
गुजरात			
एसएचएलएस	धीरखण्डी (तालुका–नरन्दौड 2003–04	92	26 कार्यरत नहीं थे।
एसएचएलएस	अजमापत नैस (तलुका – रानावब) 2006–07	42	22 कार्यरत नहीं थे।
हरियाणा			
एसएसएलएस	चयनित पांच जिलों (कुरूक्षेत्र, हिसार, पानीपत, झज्जर, तथा भिवानी) के गाँव 9 वीं, 10 वीं, एवं 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान	256	201 कार्य नहीं कर रहे थे।
एसएचएलएस	वही	59	24 कार्य नहीं कर रहे थे।
एसएल	वही	44	37 कार्य नहीं कर रहे थे।
एसडब्ल्यूपी	हिसार जिला	1	जल निकास क्षमता काफी कम थी।
हिमाचल प्रदेश			
एसएचएलएस, एसएल एवं एसएसएलएस	बातल	18	सभी 18 एसएसएलएस कार्यरत नहीं पाये गये थे।
एसएचएलएस एसएल एवं एसएसएलएस	चैल	30	सभी 30 एसएसएलएस कार्यरत नहीं पाये गये थे।
एसएचएलएस, एसएल एवं एसएसएलएस	दुमेहर	15	सभी 15 एसएसएलएस कार्यरत नहीं पाये गये थे।
एसएल	चम्बा 1997–98 से 2010–11	109	सभी 109 एसएसएलएस कार्यरत नहीं पाये गये थे।
झारखण्ड			
एसपीपी	देवघर जिला अगस्त 2011	4	मार्गनिर्देशों के अनुसार उत्पादन उसकी क्षमता का 90 प्रतिशत होना चाहिए था। परन्तु यह अपनी क्षमता के केवल 13 से 24 प्रतिशत के बीच था।
जम्मू एवं कश्मीर			
एसएसएलएस	जम्मू में चार अस्पताल नवम्बर 2011	40	सभी 40 कार्यरत नहीं थे। सभी 40 प्रणालियों की बैटरियां और अन्य उपकरण गायब थे और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
एसएसएलएस	बड़गांव जिला नवम्बर 2011	20	एक कार्य नहीं कर रहा था

प्रणाली का प्रकार	स्थान एवं संस्थापन वर्ष	निरीक्षित प्रणालियों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति
महाराष्ट्र			
एसएचएलएस	मिरज,जैडपी सांगली 2006–07	20	पांच उस परिसर में नही थे जहाँ संस्थापित किए जाने थे। अन्य 15 के लिए लाभार्थी को आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी और एसएचएलएस के उपयोग तथा देखभाल के लिए प्रशिक्षण और एएमसी नहीं किया था जो अनिवार्य था। पूर्तिकार ने लाभार्थियों से रू. 4,269 से रू. 13,619 के बीच अधिक राशि वसूल की थी।
एसएल	विदर्भ[2] 2008–2009	47	42 कार्यरत नहीं थे।
ओडिशा			
एसएचएलएस, एसएल एवं एसएसएलएस		73 एसएसएलएस,51 एसएचएलएस और 88 एसएल	33 एसएसएलएस, 28 एसएचएलएस और 44 एसएल कार्यरत नहीं थे।
एसएल	खुर्द जिला[3] 2000–01	45	45 कार्यरत नहीं थे।
मिजोरम			
एसएचएलएस एवं एसएल		35	28 कार्यरत नहीं थे।
एसपीपी	2003	4	एक कार्यरत नहीं था और अन्य तीन बैटरियों की क्षति के कारण 50 प्रतिशत पर कार्यरत थे।
नागालैण्ड			
एसपीपी	कोहिमा	10	4 कार्यरत नहीं थे और एक अभी प्रतिष्ठापित किया जाना है।
एसडब्ल्यूएचएस	कोहिमा और पफीटसेरो शहर	7	3 कार्यरत नहीं थे।
पंजाब			
एसएल	4 जिलों में 4[4] स्थान	24	17 कार्यरत नहीं थे। चार दोस्तों/रिश्तेदारों को उपहार में दिए बताये गये थे।
एसएचएलएस	4 जिलों में 5 स्थान	27	22 कार्यरत नहीं थे। दो रिश्तेदारों को उपहार में दिए बताये गये थे और एक गायब था।
एसएल	4 जिलों में 9 स्थान	476	163 कार्यरत नहीं थे। दो गायब थे। गुरदासपुर में 46 निष्क्रिय लाइटें नियमित विद्युत आपूर्ति से जोड़ी गई थीं।

[2] खामगांव, लोनार तथा बुलढ़ाना जैडपी बुलढ़ाना में, अमरावती में धामन गांव, नेर, यवतमाल और बाबुलगाँव जैडपी यवतमाल में।

[3] दामानिवाड़ा और बानपुर ब्लॉक के निलाद्रिप्रसाद ग्राम पंचायत।

[4] गुरदासपुर, तरनतारन, पटियाला तथा लुधियाना।

प्रणाली का प्रकार	स्थान एवं संस्थापन वर्ष	निरीक्षित प्रणालियों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति
एसडब्लयूपी	5[5] जिलों में 4 स्थान	15	15 कार्यरत नहीं थे। नियमित विद्युत इनवर्टरों की चार्जिंग के लिए सौर पेनल उपयोग किए गए थे।
एसपीपी	3[6] जिलों में 6 स्थान	6	4 कार्यरत नहीं थे। बाघा बार्डर जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर संस्थापित संयंत्र कार्यरत नहीं था। प्राथमिक स्कूल लेहल एवं कलानौर और बस स्टैण्ड कलानौर स्थित तीन संयंत्र लेखापरीक्षा के कहने पर सुधारे गए थे।
राजस्थान			
एसएसएलएस	सिलोरा गांव जिला अजमेर 2009	90	सभी 90 कार्यरत नहीं थे।
एसडब्ल्यूपी		6	योजना में यथा उल्लिखित कृषि उपयोग के विरूद्ध दो जल पम्प व्यापारिक कार्यकलापों (सड़क किनारे होटल और सीमेंट संरचनाओं के विनिर्माण करने) में उपयोग किए जा रहे थे।
एसएचएलएस	7 गाँव	20	8 कार्यरत नहीं थे।
उत्तराखण्ड			
एसएसएलएस	एनआईवीएच[7], देहरादून, 2006	68	46 कार्यरत नहीं थे।
एसएसएलएस	आरएपीवी[8] होस्टल 2006	2	एक कार्यरत नहीं था।
एसएचएलएस	मालदेवता, देहरादून	--	लाभार्थियों की सूची में उल्लिखित स्थानों पर नहीं पाए गए थे।
एसएचएलएस	टेहरी	--	भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि उरेडा कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया।
एसएल	2002-03 से 2014	554	100 कार्यरत नहीं थे।
एसएचएलएस	गुर्जरबस्ती, बहादराबाद हरिद्वार मई 2007	39	सभी 39 कार्यरत नहीं थे। उरेडा द्वारा निगरानी की कमी के कारण प्रणालियां पुरानी हो गईं।
एसएसएलएस	जैती बाजार, अल्मोड़ा जिला सितम्बर 2008	15	सभी 15 ठीक कार्यरत नहीं थे।
जोड़		**3,959**	1,868 प्रणालियां ठीक कार्यरत नहीं थी और 50 प्रणालियां गायब थी।

नोट : सौर घर प्रकाश प्रणाली (एसएचएलएस), सौर सड़क प्रकाश व्यवस्था प्रणाली (एसएसएलएस), सौर विद्युत संयंत्र (एसपीपी) सौर लालटेन (एसएल) और सौर जल पम्प (एसडब्ल्यूपी)।

[5] गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, तरनतारन तथा अमृतसर।
[6] गुरदासपुर, पटियाला तथा अमृतसर।
[7] राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान।
[8] राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय।

अनुबन्ध XIV
(अध्याय VIII का पैरा 2.2 देखें)

बायोगैस की राज्यवार, लक्ष्य, प्राप्ति और संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित सम्भावना	राज्य द्वारा दर्शाया अनुमान	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2007–14	उपलब्धि राज्य अनुसार 2007–14	2007–14 के लक्ष्य के संदर्भ में कमी *प्रतिशतता*	31 मार्च 2014 तक संचयी उपलब्धियाँ	सम्भावना से उपलब्धि की *प्रतिशतता*
1.	आंध्रप्रदेश	10,65,000	10,65,000	121,300	94,237	22.31	5,21,764	48.99
2.	अरूणाचल प्रदेश	7,500	उ.न.	700	690	1.43	3,472	46.29
3.	असम	3,07,000	निर्धारित नहीं	42,000	40,013	4.73	1,08,302	35.28
4.	बिहार	7,33,000	निर्धारित नहीं	1,305	805	38	1,29,825	17.71
5.	छत्तीसगढ़	4,00,000	उ.न.	28,100	24,332	13.4	48,509	12.13
6.	गोवा	8,000	चयनित नहीं				4,086	51.08
7.	गुजरात	5,54,000	शून्य	55,500	35,832	35.44	4,28,676	77.38
8.	हरियाणा	3,00,000	1500-2000 प्रतिवर्ष	11,500	9,259	19.48	59,868	19.96
9.	हिमाचल प्रदेश	1,25,000	निर्धारित नहीं	1,951	1,863	4.51	47,255	37.8
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1,28,000	के वी आई सी[1] निर्धारित नहीं	575	437	12.84	3,033	2.37
			जे ए के ई डी ए[2] निर्धारित नहीं	500	500			
11.	झारखण्ड	1,00,000	निर्धारित नहीं	5,000	1,683	66	7,237	7.24
12.	कर्नाटक	6,80,000	शून्य	87,029	72,033	17.23	4,69,671	69.07
13.	केरल	1,50,000	निर्धारित नहीं	22,519	18,504	17.83	1,41,378	94.25
14.	मध्यप्रदेश	14,91,000	निर्धारित नहीं	82,000	68,990	15.86	3,45,808	23.19
15.	महाराष्ट्र	8,97,000	शून्य	1,05,100	104,523	0.55	8,56,436	95.48

[1] वर्ष 2013–14 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां खादी ग्राम और उद्योग आयोग के पास उपलब्ध नहीं थे।

[2] अप्रैल 2011 में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई पी) के समाप्त हो जाने के कारण 2007–14 अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। एमएनआरई ने 2010–11 के दौरान 500 संयंत्रों के लक्ष्य को छोड़कर कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई बायोगैस संयंत्र संस्वीकृत नहीं किया था।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित सम्भावना	राज्य द्वारा दर्शाया अनुमान	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2007–14	उपलब्धि राज्य अनुसार 2007–14	2007–14 के लक्ष्य के संदर्भ में कमी *प्रतिशतता*	31 मार्च 2014 तक संचयी उपलब्धियाँ	सम्भावना से उपलब्धि की *प्रतिशतता*
16.	मणिपुर	38,000	चयनित नहीं				2,128	5.6
17.	मेघालय	24,000	निर्धारित नहीं	3,000	3,000	शून्य	10,046	41.86
18.	मिजोरम	5,000	--	2,400	1,165	51.46	4,770	95.4
19.	नगालैण्ड	6,700	निर्धारित नहीं	3,750	3,371	10.11	7,653	114.22
20	ओडिशा	6,05,000	6,05,000	42,500	33,244	22	2,61,830	43.28
21	पंजाब	4,11,000	निर्धारित नहीं	75,700	67,323	11.08	1,64,295	39.97
22.	राजस्थान	9,15,000	शून्य	2,183	2,089	4.31	69,393	7.58
23.	सिक्किम	7,300	निर्धारित नहीं				8,744	119.78
24.	तमिलनाडु	6,15,000	उ.न.	13,812	10,068	27	2,21,704	36.05
25.	त्रिपुरा	28,000	निर्धारित नहीं				3,328	11.89
26.	उत्तर प्रदेश	19,38,000	शून्य	26,900	16,204	40	4,37,360	22.57
27.	पश्चिम बंगाल	6,95,000	निर्धारित नहीं	74,000	32,805	44.33	3,66,333	52.71
28.	अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	2,200	चयनित नहीं				137	6.22
29.	चण्डीगढ़	1,400	चयनित नहीं				97	6.93
30.	दादरा एवं नगर हवेली	2,000	चयनित नहीं				169	8.45
31.	दिल्ली	12,900	चयनित नहीं				681	5.28
32.	पुडुचेरी	4,300	चयनित नहीं				578	13.44
33.	उत्तराखण्ड	83,000		3,700	3,206		17,534	21.13
	कुल	**1,23,39,300**		**8,13,024**	**6,46,176**	**20.52**	**47,52,100**	**38.51**

स्रोत : एमएनआरई एवं राज्य नोडल अभिकरण।

उ.न. – उपलब्ध नहीं।

अनुबन्ध XV

(अध्याय VIII में पैरा 4.3 देखें)

लेखापरीक्षा द्वारा बायोगैस संयंत्रों के राज्यवार भौतिक सत्यापन के ब्यौरे

स्थान	कब संस्थापित	संख्या निरीक्षित	लेखापरीक्षा आपत्ति
आंध्रप्रदेश			
खम्माम एवं बारंगल जिले	उ.न.	70	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित 70 संयंत्रों में से पांच कार्य नहीं कर रहे थे। बायोगैस संयंत्र के काम न करने के कारण मुख्य थे : द्वार की दीवार की क्षति, लाभार्थी द्वारा नियमित रूप से गोबर न भरना।
अरूणाचल प्रदेश			
पपुम्पारे, पश्चिम सियांग, लोअर सुवानसिरी, पूर्व सियांग जिले	1998–99 2003, 2007, 2011 एवं 2013	25	लेखापरीक्षा ने देखा कि निरीक्षित 25 संयंत्रों, में से, 23 कार्य नहीं कर रहे थे (पश्चिम सियांग में सात, पपुम्पारे मे चार, लोअर सुवानसिरी में चार, और पूर्व सिंयाग जिलों में आठ कार्यरत नहीं थे। पपुम्पारे में दो संयंत्र कार्यरत थे) कार्य न करने के कारण थे कि लाभार्थियों की संयंत्रों के प्रचालन में रूचि की कमी थी क्योंकि वैकल्पिक ईंधन अर्थात एलपीजी आसानी से उपलब्ध था। किसी भी संयंत्र में धातु पटटी पर क्रम/पहचान संख्या नहीं थी।
असम			
	उ.न.	36	लेखापरीक्षा ने देखा कि निरीक्षित 36 संयंत्रों में से सात कार्य नहीं कर रहे थे। इनमें से दो संस्थापन से कार्य नहीं कर रहे थे और दो दोषपूर्ण पाए गए थे।
बिहार			
पांच जिले[1]	उ.न.	8	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित आठ संयंत्रों में से एक कार्य नहीं कर रहा था।
हरियाणा			
5 चयनित जिलों (कुरूक्षेत्र, हिसार, पानीपत, झज्जर तथा भिवानी) में 6 स्थान/गांव	9वीं, 10 वीं एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजनाएं	56	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित 56 संयंत्रों में से 41 निष्क्रिय थे।
झारखण्ड			
देवघर जिला	2005–06 और 2008–09	7	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित सात संयंत्रों में से छः गैस न बनने के कारण कार्य नहीं कर रहे थे।

[1] आरा,जहानाबाद, नालन्दा,(बिहारशरीफ), पटना और वैशाली (हाजीपुर)।

स्थान	कब संस्थापित	संख्या निरीक्षित	लेखापरीक्षा आपत्ति
जम्मू एवं कश्मीर			
	उ.न.	9	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित नौ संयंत्रों में से दो ड्रम में टूट फूट और एक गैस पाइप में कुछ समस्या आने के कारण कार्य नहीं कर रहे थे। तकनीशियन द्वारा सुधार की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया था यद्यपि टेलीफोन पर समस्या के बारे में बार–बार सूचित किया गया।
कर्नाटक			
उडुपी शिमोगा और तुमकुर	उ.न.	50	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित 50 संयंत्रों में से 11 कार्य नहीं कर रहे थे और लाभार्थी एलपीजी और जलाव लकड़ी का भोजन पकाने के लिए उपयोग कर रहे थे क्योंकि उपर्युक्त संयंत्र विगत दो से तीन वर्षों से कार्य नहीं कर रहे थे।
मिजोरम			
आइजाल	उ.न.	10	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित 10 संयंत्रों में से तीन कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके टेंक जंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें से, दो 1994 में और एक 2008 में संस्थापित किए गए थे।
मध्यप्रदेश			
	उ.न.	75	सभी कार्यरत।
नागालैण्ड			
फेक एवं मोकोकचुंग	उ.न.	5	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित पांच संयंत्रों में से चार कार्य नही कर रहे थे और एक प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था।
पंजाब			
5 जिलों में 11 स्थान	उ.न.	74	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित 74 संयंत्रों में से पांच कार्य नहीं कर रहे थे, पांच लाभार्थी एलपीजी सिलिडरों का भी उपयोग कर रहे थे।
उत्तरप्रदेश			
बाराबंकी	2010–11	2	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षत दो संयंत्र प्रचालित नहीं थे क्योंकि ढ़ाबा, जहां वे संस्थापित किए गए, बन्द हो गए थे।
लोधान गांव, वाराणसी	उ.न.	2	लेखापरीक्षा में देखा कि निरीक्षित दो संयंत्र कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं कर रहे थे।
जोड़		**429**	**112 कार्यरत नहीं**

नोट :– उ.न. –लागू नहीं।

अनुबन्ध XVI

(अध्याय IX का पैरा 2.1 देखें)

2007–14 की अवधि के लिए दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु राज्यवार लक्ष्य और प्राप्तियां ।

क्र. सं.	राज्य	आरईसी द्वारा सत्यापित गांवो/पुरवों की संख्या	संस्वीकृत गांवो/पुरवों की संख्या	पूर्ण किए गए गांवो/पुरवों की संख्या	लिए गए पात्र पुरवों/गांवों की *प्रतिशतता*	प्राप्त लक्ष्य की *प्रतिशतता*	जारी सीएफए (₹ करोड़ में)
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(iv) X 100/(ii)	(iv) X 100/(iii)	
1	आंध्रप्रदेश	112	13	13	12	100	0.31
2	अरूणाचल प्रदेश	145	0	141	97	-	4.94
3	असम	2,385	1,691	1,913	80	113	117.92
4	बिहार	80	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5	छत्तीसगढ़	1,621	314	243	15	77	16.21
6	दिल्ली	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.25
7	गोवा	0	19	19	-	100	0.10
8	गुजरात	49	0	0	शून्य	-	0.35
9	हरियाणा	149	92	241	163	262	0.69
10	हिमाचल प्रदेश	1	0	20	2,000	शून्य	उ.न.
11	जम्मू एवं कश्मीर	1,035	619	232	22	37	69.91
12	झारखण्ड	832	251	206	25	82	44.25
13	कर्नाटक	173	59	30	17	51	1.26
14	केरल	73	49	49	67	100	3.39
15	मध्यप्रदेश	972	424	547	56	129	31.51
16	महाराष्ट्र	362	82	230	64	280	22.20
17	मणिपुर	166	49	106	64	216	5.21
18	मेघालय	158	66	124	78	188	2.30
19	नागालैण्ड	11	8	8	73	100	0.83
20	ओडिशा	2,116	1,528	1,491	70	98	52.44
21	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.08
22	राजस्थान	493	103	253	51	246	21.53
23	तमिलनाडु	130	32	30	23	94	0.67
24	त्रिपुरा	583	479	606	125	127	27.40

क्र. सं.	राज्य	आरईसी द्वारा सत्यापित गांवो/पुरवों की संख्या	संस्वीकृत गांवो/पुरवों की संख्या	पूर्ण किए गए गांवो/पुरवों की संख्या	लिए गए पात्र पुरवों/गांवों की *प्रतिशतता*	प्राप्त लक्ष्य की *प्रतिशतता*	जारी सीएफए (₹ करोड़ में)
	(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(iv) X 100/(ii)**	**(iv) X 100/(iii)**	
25	**उत्तर प्रदेश**	419	257	335	80	130	22.66
26	**उत्तराखण्ड**	234	173	164	70	195	6.77
27	**पश्चिम बंगाल**	93	24	6	6	25	27.88
	कुल	**12,392**	**6,332**	**7,007**	**57**		**481.06**

स्रोत : एमएनआरई।

नोट : 1. बिहार, पंजाब और मिजोरम के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध नही थी।

2. दिल्ली, गोवा, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा लेखापरीक्षा समीक्षा का भाग नहीं थे।

3. सीएफए – केन्द्रीय आर्थिक सहायता, आरईसी–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड।

अनुबन्ध XVII

(अध्याय IX में पैरा 6 देखें)

लेखापरीक्षा द्वारा दूरस्थ गांव विद्युतीकरण प्रणालियों के राज्यवार भौतिक सत्यापन के ब्यौरे

प्रणाली का प्रकार	स्थान	कब संस्थापित	संख्या निरीक्षित	निष्क्रिय	कारण
आंध्रप्रदेश					
एसएचएलएस एवं एसएसएलएस	सुददाकुन्ता गांव	2008-09	284 एसएचएलएस और 34 एसएसएलएस	-	विद्युतीकरण पांच परिवारों में से कोई भी रह नहीं रहा था और एक परिवार वेंकटाद्रिपलम गांव में रह रहा था।
	बिल्लागोण्डी पुरवा		37 एसएचएलएस और 4 एसएसएलएस	37 एसएचएलएस और दो एसएसएलएस कार्यरत नहीं थे।	
अरूणाचल प्रदेश					
बायोमास गैसीफायर विद्युत संयंत्र	रानी एवं बालीजन गांव	2014	2 संयंत्र (328 लाभार्थी)	2	लाभार्थियों की रूचि की कमी और स्थानीय ग्रिड से गुणता विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता।
एसएचएलएस	पूसीडाक एवं ताबासोरा गांव	2002–03 और 2005–06	132	-	122 उपलब्ध नहीं थे।
एसएचपी	पान्या	2009	01	01	मशीनरी कमियों के कारण कार्यरत नहीं थे।
एसएचएलएस	ताबासोरा	2002-03 एवं 2005-06	73	63	स्थानीय ग्रिड से विद्युत आपूर्ति के बाद अपेडा ने प्रणालियों के कार्यचालन की निगरानी नहीं की।
	पूसीडाक		59	59	
बायोमास गैसीफीयर विद्युत संयंत्र		2004-2005	12 गांव (1,024 लाभार्थी)	12	अपेडा ने यह प्रमाणित नहीं किया कि पुरवा/गांव अविद्युतीकृत थे। तथापि ये आरजीजीबीवाई, के अन्तर्गत विद्युतीकृत कवर किए गए थे। अपेडा/राज्य सरकार ने ना तो ऊर्जा संयंत्रों को अन्य आवश्यकता वाले स्थानों पर दोबारा लगाया और न ही आरवीई कार्यक्रम मार्गनिर्देशों के अनुसार सतत प्रचालन हेतु स्थानीय ग्रिड से संयंत्र जोडे गए। रू. 87.14 लाख का व्यय निष्फल हो गया था।

प्रणाली का प्रकार	स्थान	कब संस्थापित	संख्या निरीक्षित	निष्क्रिय	कारण
झारखण्ड					
एसएचएलएस	जजोगोरा, पोटका, पूर्वी सिंहभूमि	नवम्बर 2007 और अगस्त 2008 के बीच	36	21	ज्ञात नहीं।
			04	03	
	पापरागारू पोटका, पूर्वी सिंह भूमि	नवम्बर 2007 और अगस्त 2008 के बीच	19	13	ज्ञात नहीं।
			02	01	
	गमारकोचा पोटका, पूर्वी सिंह भूमि	नवम्बर 2007 और अगस्त 2008 के बीच	13	05	ज्ञात नहीं।
			01	शून्य	
	सिरका अंगारा, रांची	2003-04	286	13	बैटरी की विफलता।
			05	01	
	बीसा, अंगारा रांची	2003-04	424	65	बैटरी की विफलता।
			06	06	
केरल					
एसएचएलएस	अगाली ग्राम पंचायत	उपलब्ध नहीं	5	5	निवारक अनुरक्षण के मामले हुए थे। एएमसी के बाद प्रणालियों की कार्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था।
जम्मू एवं कश्मीर					
एसएचएलएस	पुंछ जिले के पांच[1] गांव	उपलब्ध नहीं	90	4	15 प्रणालियों में केवल एक ट्यूब कार्य कर रही थी, तीन प्रणालियों में केवल एक ट्यूब लगाई गई थी।
महाराष्ट्र					
एसपीपी (17.5 किलोवाट)	ओजार खेड गांव, जिला नाशिक	मार्च 2008	1	फरवरी 2013 से कार्यरत नहीं	रू. 9.48 लाख की निष्पादन बीजी जब्त की जानी अपेक्षित थी, जो की नहीं गई थी।
मध्यप्रदेश					
एसएसएलएस	सलकानपुर/ सिहोर	दिसम्बर 2012	196	.	जीआई पाइपों की खराब गुणवत्ता और अनुरक्षण में विलम्ब के कारण खम्भे क्षतिग्रस्त हुए।

[1] घाणी, नंगली, बन्दी चेचियान, कुसबा और खण्डी।

प्रणाली का प्रकार	स्थान	कब संस्थापित	संख्या निरीक्षित	निष्क्रिय	कारण
ओडिशा					
एसएचएलएस तथा एसएसएलएस	क्योंझर जिले का जमुदिहा गांव	उपलब्ध नहीं	925 एसएचएलएस और 93 एसएसएलएस	177 एसएचएलएस और 35 एसएसएलएस	909 परिवारों के लिए 17 गांवों में, 55 एसएचएलएस और 6 एसएसएलएस गायब थे।
राजस्थान					
एसएचएलएस	अलवर जिले के पांच गांव	उपलब्ध नहीं	50	8	एएमसी अवाधि के दौरान पूर्तिकार ने ध्यान नहीं दिया। लाभार्थियों ने स्वयं प्रणालियों की मरम्मत की अथवा खुले बाजार से इनकी मरम्मत कराई। प्रणालियों के प्रहस्तन हेतु लाभार्थियों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। लाभार्थी एएमसी से अवगत नहीं थे और एएमसी प्रदाताओं के सम्बन्ध नम्बर ज्ञात नहीं थे। आरवीई के अन्तर्गत केवल 37 वार की घर प्रकाश व्यवस्था प्रणालियां लगाई गई थीं जो लाभार्थियों के अनुसार पर्याप्त नहीं थीं जैसा भौतिक सत्यापन के दौरान बताया गया था।
उत्तराखण्ड					
एसएचएलएस	सैभर, मुनस्यार, पिथोरागढ़	उपलब्ध नहीं	63	39	बैटरियों के कार्य न करने के मामले हुए थे। इसके अलावा लाभार्थी प्रभार एकत्र नहीं किए गए थे और लाभार्थियों को उचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था।
पश्चिम बंगाल					
एसएचएलएस		उपलब्ध नहीं	13	12	एएमसी द्वारा अननुरक्षण और डब्ल्यूबीआरईडीए द्वारा अल्प निगरानी के कारण।
जोड़			**2,870**	**585**	**183 प्रणालियां गायब।**

नोट : सौर घर प्रकाश व्यवस्था प्रणाली (एसएचएलएस) सौर सड़क प्रकाश व्यवस्था प्रणाली (एसएसएलएस),सौर विद्युत संयंत्र (एसपीवी), सौर लालटेन (एसएल) और सौर जल पम्प (एसडब्ल्यूपी)।

अनुबन्ध XVIII
(अध्याय XII का पैरा 2.6 देखें)

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रभाग

फैब्रिकेशन ऑफ सीयू थिन फिल्म सोलर सेल्स ऑन लार्ज एरिया ग्लास एण्ड फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट यूजिंग स्पट्रिग सेलेनाइजेशन टेक्नीक।

परियोजना कलिंगा इंस्टीटयूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नालाजी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर को ₹ 57.07 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (मई 2009) एवं ₹ 56.85 लाख का व्यय हुआ। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने और शोध –पत्रों के प्रकाशन की परिकल्पना की गई थी। तथापि, कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था तथा इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई शोध–पत्र किसी भी भारतीय/विदेशी पत्र –पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं किया गया था।

परियोजना के पूरा होने में नौ महीने की देरी हुई। परियोजना समापन रिपोर्ट (पीसीआर) का मूल्यांकन मंत्रालय के वैज्ञानिकों अथवा बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था। विशेषज्ञों द्वारा पीसीआर के उचित मूल्यांकन के अभाव में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना के उददेश्य को हासिल नहीं किया गया। इसके अलावा परियोजना की विशेषज्ञों/संस्थाओं द्वारा निगरानी नहीं की गयी थी, जैसा मंत्रालय के मंजूरी पत्र में निर्धारित किया गया था। एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि मानव–शक्ति एवं ढांचागत सुविधाओं जैसी बाधाओं के कारण कमियां हुई।

नोवल डोप्ड 3–डी नैनोपोरस ऑक्साइट फार डाई सेन्सीटाइज्ड सोलर सेल्स

परियोजना इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून को ₹ 38 लाख के वित्तीय परिव्यय पर स्वीकृत हुई (मार्च 2009) एवं ₹ 25.30 लाख का व्यय हुआ। सितम्बर 2012 के बाद परियोजना की प्रगति की समीक्षा नहीं की गई थी। अभी तक पीसीआर प्रस्तुत नहीं की गई है (जुलाई 2015)।

परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने और शोध–पत्रों के प्रकाशन की परिकल्पना की गई थी। तथापि, कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था तथा इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई शोध–पत्र किसी भी भारतीय/विदेशी पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं किया गया था।

डेवलपमेंट ऑफ एन इंप्रूव्ड इलैक्ट्रिकल ऑप्टिकल मॉडल फॉर द सिमुलेशन ऑफ हिट्रो जंक्शन विथ इन्स्ट्रिंसिक थीन लेयर (एचआईटी) सोलर सेल्स।

परियोजना इंडियन एसोशिएसन फार कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता को ₹ 25.30 लाख के वित्तीय परिव्यय पर स्वीकृत हुई (फरवरी 2011) एवं ₹ 5.18 लाख का व्यय हुआ। फरवरी 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना अभी भी चल रही थीं। परियोजना की परियोजना निगरानी समिति द्वारा अंतिम समीक्षा सितम्बर 2012 में की गई थी। उसके बाद परियोजना की समीक्षा नहीं की गई थी। परियोजना के जल्दी पूरा होने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। संस्वीकृति द्वारा निर्देशित तिमाही निगरानी रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं हुई। एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि परियोजना संचालक ने बार बार पूछने के बावजूद कोई जवाब नही दिया।

एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूनिक प्रोपर्टीज ऑफ क्वांटम डाट्स फॉर एफिसिएंट एनर्जी हार्वेस्टिंग इन सोलर सेल्स

परियोजना सेन्टर फार इमर्जिंग टेक्नालाजी, जैन यूनिवर्सटी, बैंगलौर को ₹ 37.16 लाख के वित्तीय परिव्यय पर स्वीकृत हुई (मई 2011) एवं ₹ 25.34 लाख का व्यय हुआ। मई 2014 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना अभी भी चल रही थीं। परियोजना के जल्दी पूरा होने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। संस्वीकृति द्वारा निर्देशित तिमाही निगरानी रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं हुई। एमएनआरई ने कहा (मई 2015) कि परियोजना को आगे बढ़ाने पर आरडीडी एण्ड डी सेक्टरल परियोजना मूल्यांकन समिति की अगली मीटिंग में विचारा जाएगा।

डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ आर्गेनिक सोलर सेल सब–मोड्यूल्स

परियोजना इंडियन–इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलाजी, कानपुर को ₹ 18.05 करोड़ के वित्तीय परिव्यय पर स्वीकृत हुई (मार्च 2011) एवं ₹ 4.64 करोड़ का व्यय हुआ। मार्च 2014 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को बिना किसी उचित औचित्य के मार्च 2015 तक विस्तार दे दिया गया। स्वीकृति में यथा अधिदेशित तिमाही आधार पर विशेषज्ञों द्वारा परियोजना की समीक्षा नहीं की गई थी। संस्वीकृति के अनुसार कम से कम दस शोध पत्र एवं दस पेंटेट, परियोजना का निष्कर्ष होना चाहिए था परन्तु सितम्बर 2014 तक, ऐसा कुछ भी रिकार्ड में नहीं दिखा। एम एन आर ई ने (मई 2015) कहा कि परियोजना को सितम्बर 2015 तक बढ़ाया गया है।

सौर ताप प्रभाग

डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ–3 टीआर लिक्विड डेसिकैंट बेस्ड सोलर मल्टी–यूटीलिटी हीट पम्प।

परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी मुम्बई को ₹ 61.98 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (सितम्बर 2008) एवं ₹ 47.90 लाख का व्यय हुआ। एमएनआरई ने यह परियोजना परिणाम के मामले में विशिष्ट प्रदेय के साथ संस्वीकृत की और इकाई की लक्ष्य वाणिज्यिक लागत ₹ 2.75 लाख से ₹ 3.25 लाख के बीच सीमित करनी थी। परियोजना सितम्बर 2011 में पूरी की जानी थी और क्षेत्र परीक्षण रिपोर्ट सहित अंतिम पीसीआर अगस्त 2011 तक प्रस्तुत की जानी थी। आईआईटी मुम्बई ने भी उद्योग भागीदार मैसर्स मेक वर्ल्ड इको, नासिक की मदद से व्यावसायीकरण का पहले चरण जून/जुलाई 2012 तक शुरू करने का आश्वासन दिया था। एमएनआरई द्वारा कुल ₹ 48.85 लाख जारी किए गए। फरवरी 2012 में, एमएनआरई ने परियोजना अन्वेषण (पीआई) से प्रतिबद्धता के अनुसार अंतिम पीसीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। अंतिम पीसीआर अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (मई 2015)। इसके अलावा रिकार्ड में नहीं होने के कारण प्रदेय उददेश्यों और प्रस्तावित व्यावसायीकरण के बारे में क्षेत्र परीक्षण डाटा एकत्र नहीं हुआ था। अन्तिम पीसीआर की प्राप्ति और स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच के अभाव में यह नही कहा जा सकता है कि परियोजना का उददेश्य हासिल किया गया। परियोजना पर एमएनआरई द्वारा किए गए निगरानी कार्य के विवरण अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि फील्ड डेटा में कुछ समय लगता है तथा परियोजना के लेखा का अभी भी निपटारा किया जाना है।

डेवलपमेंट एण्ड डेमोन्सट्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक टू एक्सिस ट्रैकिंग पैराबोलॉइड सोलर थर्मल कंसट्रेटर

परियोजना मैसर्स क्लिक डेवलपमेंट लिमिटेड, मुम्बई को ₹ 55.83 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (सितम्बर 2011) एवं ₹ 51.53 लाख का व्यय हुआ। सितम्बर 2012 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद भी चल रही थीं (मई 2015)। परियोजना के जल्दी पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, कोई भी पेटेंट दायर नहीं किया गया था।

इंटीग्रेटिंग एण्ड हाइब्रिडाईजिंग ए टू एक्सिस ट्रैकिग पैराबॉलिक डिश बेस्ड कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल विद बायोमास बेस्ड थर्मिक फ्लुइड हीटिंग सिस्टम इन ए प्रोसेस इंडस्ट्री।

परियोजना मैसर्स मेगावाट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को ₹ 1.64 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (मई 2013) एवं ₹ 95.72 लाख का व्यय हुआ। अगस्त 2014 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित निथि के बाद भी चल रही थीं। परियोजना के जल्दी पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि परियोजना की निष्पादन निगरानी अभी आरम्भ की जानी है।

हाइड्रोजन ऊर्जा एवं फ्यूल सेल प्रभाग

लीन लिमिट एक्सटेंशन फॉर स्पार्क इग्नाइटेड डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन थ्रो ऑन बोर्ड नान–थर्मल प्लाजमा कंवर्जन।

परियोजना अन्नामलाई यूनिवर्सटी, तमिलनाडु को ₹ 39.25 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2010) एवं ₹ 29.32 लाख का व्यय हुआ। फरवरी 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना 31 दिसम्बर 2013 तक का विस्तार दिये जाने के बाद भी (अक्टूबर 2014) पूरी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षित यूसी अभी भी प्रतीक्षित थे। परियोजना के प्रस्ताव में परियोजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी। तथापि इस परियोजना के अंतर्गत कोई भी प्रौद्योगिकी हस्तान्तरित नहीं की गई थी। एमएनआरई ने (जुलाई 2015) कहा कि प्रोजेक्ट मानीटरिंग कमेटी ने नवम्बर 2014 की अपनी बैठक में पीसी आर स्वीकार कर ली है।

यूज ऑफ हाइड्रोजन (30 प्रतिशत) ऐज फ्यूल ब्लेंडेड विद कंप्रैस्ड नेचुरल गैस इन इंटरनल कम्बशन इंजन

परियोजना सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल्स मैन्यूफैक्चर्रस, नई दिल्ली को ₹ 6.34 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (सितम्बर 2007) एवं ₹ 5.10 करोड का व्यय हुआ। सितम्बर 2009 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी। इस परियोजना पर मंत्रालय द्वारा ₹ 1.94 करोड़ की राशि जारी की गई थी। परियोजना को दिसम्बर 2013 तक का विस्तार दिया गया। मंत्रालय द्वारा परियोजना की प्रगति की अंतिम समीक्षा जून 2013 में की गई थी और उसके बाद परियोजना की समीक्षा नहीं की गई थी। लेखापरीक्षित यूसी मंत्रालय में प्रतीक्षित थे। परियोजना के प्रस्ताव मे परियोजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी तथापि इस परियोजना के अन्तर्गत किसी भी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया गया था और कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था। एमएनआरई ने (जुलाई 2015) कहा कि प्रोजेक्ट मानीटरिंग कमेटी की नवम्बर 2014 की बैठक में पीसीआर स्वीकार कर ली गयी है।

डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्नर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन

परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, कानपुर को ₹ 23.90 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2010) एवं ₹ 21.55 लाख का व्यय हुआ। फरवरी 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को नौ महीने की देरी के बाद नवम्बर 2013 में पूरा किया गया था। नवम्बर 2013 में प्रस्तुत किए गए पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा परियोजना प्रस्ताव में उद्योगों की भागीदारी की परिकल्पना की गई थी तथापि इस परियोजना में ऐसा नहीं देखा गया।

डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप फोटो रिएक्टर फॉर द हाइड्रोजन प्रॉडक्शन फ्रोम हाइड्रोजन सल्फाइड अंडर नैचुरल सनलाइट

परियोजना सेंटर फार मैटीरियल्स फार इलेक्ट्रोनिक टेक्नालाजी, पुने को ₹ 22.40 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (दिसम्बर 2011) एवं ₹ 22.40 लाख का व्यय हुआ। दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को जुलाई 2014 तक और फिर जुलाई 2015 तक का विस्तार बिना औचित्य के दिया गया।

थियोरेटिकल इन्वैस्टिगेशन ऑन लाइकली टू बी फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ हेलिकल कार्बन नैनोट्यूब्स फॉर इनहेन्स्ड हाइड्रोजन एब्जार्पशन

परियोजना थियागराजा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, मदुरई को ₹ 24.72 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 24.24 लाख का व्यय हुआ। अगस्त 2009 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को 14 महीने की देरी के बाद अक्तूबर 2010 में पूरा किया गया था। 2010 में प्रस्तुत पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था।

सीएनटी डोप्ड पॉलीमरिक मेम्ब्रांस फॉर हाइड्रोजन प्यूरिफिकेशन

परियोजना यूनिवर्सटी ऑफ राजस्थान, जयपुर को ₹ 30 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 27.25 लाख का व्यय हुआ। पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था।

न्यूमेरिकल एण्ड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस फार द डेवलपमेंट ऑफ ए मेटल हाइब्रिड बेस्ड हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस

परियोजना इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालाजी गुवाहाटी को ₹ 33.45 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (अगस्त 2008) एवं ₹ 26.31 लाख का व्यय हुआ। अगस्त 2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को एक साल की देरी के बाद अगस्त 2012 में पूरा किया गया था। अगस्त 2012 में प्रस्तुत किए गए पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था। परियोजना के प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण व पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद न तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया गया और न ही कोई पेटेंट दायर किया गया था।

जेनेरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रोम बायोमास डिराइव्ड ग्लाइसेरोल

परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालाजी, हैदराबाद को ₹ 46.43 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 46.43 लाख का व्यय हुआ। फरवरी 2010 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को एक साल से अधिक की देरी के बाद मार्च 2011 में पूरा किया गया। परियोजना को बिना औचित्य के अगस्त 2010 तक और फिर फरवरी 2011 तक का विस्तार दिया गया था। मार्च 2011 में प्रस्तुत किए गए पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने और शोध–पत्रों के प्रकाशन की परिकल्पना की गई थी। तथापि कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था तथा कोई शोध–पत्र किसी भी भारतीय/विदेशी पत्र –पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं किया गया था।

सर्वे ऑफ इनवेंटरी एण्ड क्वालिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पोटेन्शियल इन सेलेक्टेड मेजर सेक्टर्स इन इंडिया

परियोजना यूनिवर्सटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, नई दिल्ली को ₹ 15.27 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 17.56 लाख (₹ 2.29 लाख यूनिवर्सिटी प्रदत्ता) का व्यय हुआ। नवम्बर 2008 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को 14 महीने की देरी के बाद जनवरी 2010 में पूरा किया गया। मंत्रालय की कमेटी द्वारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा नहीं की गई तथा पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था।

नान–थर्मल प्लाजमा असिस्टेड डायरेक्ट डिकाम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इंटू हाइड्रोजन एण्ड सल्फर

परियोजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी,तमिलनाडु को ₹ 31.48 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2009) एवं ₹ 25.78 लाख का व्यय हुआ। फरवरी 2012 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को एक साल की देरी के बाद फरवरी 2013 में पूरा किया गया। पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था। परियोजना के प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं पेंटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद न तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया गया और न ही कोई पेटेंट दायर किया गया था।

सिंथेसिस ऑफ मैगनेशियम बेस्ड हाइड्रोजन स्टोरेज एलॉइज विद लोअर एब्जार्पशन टेम्परेचर्स

परियोजना नान–फेरस मैटीरियल्स टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेन्टर, हैदराबाद को ₹ 82.66 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (जुलाई 2010) एवं ₹ 82.66 लाख का व्यय हुआ। जुलाई 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना मार्च 2014 तक के विस्तार के बाद भी (अक्टूबर 2014) चल रही थी। परियोजना पर ₹ 82.66 लाख की राशि जारी करने के बाद भी परियोजना के जल्दी पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। एमएनआरई ने (जुलाई 2015) कहा कि प्रोजेक्ट मानीटरिंग कमेटी की नवम्बर 2014 की बैठक में पीसीआर स्वीकार कर ली गयी है।

डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल टंटालेट्स एण्ड ऑक्सीनाईट्राईड्स फॉर वाटर स्पलीटिंग एण्ड पॉलुशन एबेटमेंट

परियोजना इंस्टीटयूट ऑफ मिलनरल्स एण्ड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर को ₹ 35.54 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एंव ₹ 32.54 लाख का व्यय हुआ। फरवरी 2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को मई 2012 में पूरा किया गया था। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था। पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था।

डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर नैनो–कंपोजिटस फॉर फोटो कैटालिस्ट वाटर स्पलीटिंग इनटू हाइड्रोजन एण्ड ऑक्सीजन अंडर सोलर लाइट इरैडिएश।

परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालोजी, हैदराबाद को ₹ 59.66 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (जनवरी 2011) एवं ₹ 49.58 लाख का व्यय हुआ। बिना किसी उचित औचित्य के उपकरण की लागत में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत को संशोधित कर ₹ 47.86 लाख से ₹ 59.66 लाख कर दिया गया। जनवरी 2014 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना अभी भी चल रही थी।एमएनआरई ने (जुलाई 2015) कहा कि पीसीआर अब प्राप्त हो चुकी है एवं प्रोजेक्ट मानीटरिंग कमेटी की अगली बैठक में विचार करने के लिए प्रस्तुत की जाऐगी।

एस्टेबलिशमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन एण्ड यूटीलाइजेशन फेसिलिटी थ्रू फोटोवोल्टेइक इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम

परियोजना यूनिवर्सटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज नई दिल्ली को ₹ 14.02 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2011) एवं ₹ 7.20 करोड़ का व्यय हुआ। सामग्रियों यथा उपकरण एवं सिविल कार्य के जुड जाने के कारण परियोजना की लागत को संशोधित कर ₹ 11.15 करोड़ से ₹ 14.02 करोड़ कर दिया गया। फरवरी 2014 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना अक्टूबर 2014 तक के विस्तार के बाद भी अभी चल ही रही है। परियोजना के जल्दी पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। एमएनआरई ने (जुलाई 2015) कहा कि इस प्रकार की परियोजना देश में प्रथम थी, इसलिए इसके कार्यान्वयन में आरम्भ में अभिकल्पित से ज्यादा समय लगा।

हाइड्रोजन स्टोरेज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइडस

परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुम्बई को ₹ 40.48 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 40.48 लाख का व्यय हुआ। बिना किसी उचित औचित्य के जनशक्ति की लागत में पुनरीक्षण के कारण परियोजना की लागत को संशोधित कर ₹ 36.00 लाख से ₹ 40.48 लाख कर दिया गया। फरवरी 2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद मार्च 2012 में पूरा किया गया था। परियोजना के प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के पूरा होने के बाद किसी भी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया गया था। मार्च 2012 में प्रस्तुत किए गए पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नही किया गया।

डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल हाइब्रिड नैनो स्ट्रक्चर्स फॉर फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लीटिंग।

परियोजना इंस्टीटयूट ऑफ मिनरल एण्ड मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर को ₹ 55.09 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (मई 2010) एवं ₹ 52.96 लाख का व्यय हुआ। मई 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को नौ महीने की देरी के बाद फरवरी 2014 में पूरा किया गया था। मई 2014 में प्रस्तुत किए गए पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी तथापि, परियोजना के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था।

डेवलपमेंट ऑफ मेथानोल इलेक्ट्रोलाइजर

परियोजना सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन साइंस फाउन्डेशन को ₹ 25.02 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 22.02 लाख का व्यय हुआ। फरवरी 2009 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना को तीन महीने की देरी के बाद मई 2009 में पूरा किया गया था। पीसीआर का बाहरी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने और शोध–पत्रों के प्रकाशन की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था तथा कोई शोध–पत्र किसी भी भारतीय/विदेशी पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं किया गया था।

जैव ईंधन प्रभाग

डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड इवैल्यूएशन ऑफ पायलट स्केल इथनॉल प्रोडक्शन फ्रोम कासावा स्टार्च

परियोजना तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सटी को ₹ 35 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (सितम्बर 2008) एवं ₹ 30.45 लाख का व्यय हुआ। एमएनआरई के आरडीडी एण्ड डी दिशा–निर्देशों के अनुसार, इस परियोजना की मंजूरी के दौरान एक तीसरा पक्ष निगरानी तंत्र लागू किया जाना था तथा परियोजना लागत के 2 प्रतिशत (₹ 10 लाख तक उच्चतम सीमा निश्चित) का प्रावधान भी किया गया था। यह देखा गया कि यद्यपि पीआई नियमित प्रगति प्रतिवेदन भेजते रहे परंतु दिशा–निर्देशों के अनुसार न तो विशेषज्ञ कमेटी की पहचान की गई और न ही एमएनआरई वैज्ञानिकों द्वारा परियोजना की कभी निगरानी की गई अथवा दौरा किया गया जैसा कि संस्वीकृति द्वारा आदेशित किया गया था।

परियोजना प्रस्ताव में प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना/प्रदर्शन में सहायता करने तथा व्यापक स्वीकरण हेतु प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय करने के लिए दो उद्योगों को शामिल किया गया था। इसके अलावा, प्रस्ताव में उद्यमी/लाइन विभागों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण प्रस्तावित था। अभिलेख से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्रौद्योगिकी का वास्तव में हस्तांतरण किया गया था जैसा प्रस्तावित था। इसके अलावा, प्रायोगिक संयंत्र को लोकप्रिय करने के लिए भागीदार उद्योगों के योगदान की पुष्टि नहीं की जा सकी। एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि उद्योग की सहभागिता अनिवार्य नहीं थी तथा केवल वैकल्पिक थी। यह उत्तर उद्योगों को हरसंभव शामिल करने के एमएनआरई के व्यापक दृष्टिकोण का खंडन करता है।

डेमोन्सट्रेशन ऑफ मॉड्यूलर पाइरोलिसिस यूनिट टू प्रोड्यूस बायो ऑयल फ्रोम एग्रोइंडस्ट्रियल बायोमास वेस्टस एण्ड मेथोडोलॉजी फॉर एनालिसिस यूज एण्ड अपग्रेडेशन ऑफ बायो ऑयल

परियोजना द एनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीटयूट, नई दिल्ली को ₹ 1.70 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुआ (अक्टूबर 2010) एवं ₹ 1.55 करोड़ एमएनआरई द्वारा जारी किया गया। एमएनआरई के आरडीडी एण्ड डी दिशा–निर्देशों के अनुसार ₹ एक करोड़ से ज्यादा लागत वाले सभी परियोजना प्रस्ताव के लिए, संस्था में क्षमताओं और परियोजनाओं टीम तथा उपलब्ध तकनीकी और प्रशासनिक सेटअप की क्षमता का मौके पर ही आकलन करने हेतु संस्थान का दौरा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और एक प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। तथापि, कोई समिति गठित नहीं की गई।

परियोजना मंजूरी में अर्द्धवार्षिक अंतराल पर प्रगति की निगरानी हेतु एक विशेषज्ञ समिति का अधिदेश किया था। यद्यपि, पीआई से वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किए गए, परन्तु एमएनआरई ने अनिवार्य अर्द्धवार्षिक अंतराल पर प्रगति की निगरानी नहीं की। इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के जैव तेल के निरूपण, उपयोग और उन्नयन हेतु विश्लेषणात्मक गतिविधियों के लिए परियोजना हेतु एक भागीदार के रूप में होने की बात कही गई थी। परियोजना समापन प्रतिवेदन ने दहन अनुप्रयोगों में तथा वाहन ईंधन के रूप में तेल के परीक्षण के लिए भारतीय उद्योग की गैर उपलब्धता/भावना का संकेत किया। इस अवरोध के अलोक में, परियोजना के प्रति आईओसीएल के योगदान का पता नहीं लगाया जा सका तथा परियोजना में उद्योग की भागीदारी केवल कागज में ही रह गई।

डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअल ऑपरेटिंग पायलट स्केल बायो–रिएक्टर सिस्टम फॉर कंपरेटिव सिमुलेशन्स स्टडीज ऑन अल्गल कल्टीवेशन

परियोजना मैसर्स एबोलोन क्लीन एनर्जी लिमिटेड, गुजरात को ₹ 21.38 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए तीन विषय विशेषज्ञों से टिप्पणी प्राप्त होने के बाद स्वीकृत की गई (सितम्बर 2011)। एक विशेषज्ञ की टिप्पणियों ने प्रस्ताव में सुधार की आवश्यकता जताई और जून 2011 में भी मैसर्स एबेल्लोन से टिप्पणियों के प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। इस प्रकार के प्रत्युत्तर को संबंधित विशेषज्ञ के पास अग्रेषित किया जाना चाहिए था एवं संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी। हालांकि, वह अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

30 जुलाई 2012 के मध्यावधि निगरानी प्रतिवेदन में, यह इशारा किया गया था कि रियेक्टर डिजाइनिंग में दोषपूर्ण था तथा कार्यान्वयन के लिए सुधार सुझााये गये थे। परियोजना अक्तुबर 2012 को पूरी हो गयी और ₹ 4.30 लाख की दूसरी किस्त दिसम्बर 2012 में जारी की गई । परियोजना समापन प्रतिवेदन स्वीकार करने तथा ₹ 9.30 लाख धनराशि जारी करने के उपरांत एमएनआरई ने मई 2013 में पीआई को प्रतिकूल टिप्पणियों से अवगत कराया, जो कार्यविधिक रूप से सही नहीं था।

जैव ऊर्जा प्रभाग

एड्रेसिंग नोवेल एप्लीकेशंस ऑफ करेंट जेनरेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्मस

परियोजना सेन्ट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इन्स्टीटयूट, तमिलनाडु को ₹ 24.69 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 26.03 लाख (₹ 1.32 लाख इंस्टीटयूट प्रदत्ता शामिल) का व्यय हुआ। फरवरी

2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना सात महीने की देरी के बाद सितम्बर 2011 में पूरी हुई। पीसीआर अप्रैल 2012 में प्रस्तुत किया गया। परियोजना की प्रगति की निगरानी विशेषज्ञों की किसी समिति द्वारा नहीं की गई। इसके अलावा परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था।

स्टेट ऑफ द आर्ट रिव्यू ऑफ ग्लोबल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इन पॉलिजेनरेशन फेसिलिटिज फॉर द प्रॉडक्शन ऑफ लिक्विड फ्यूल्स एण्ड केमिकल फॉर को–जेनरेशन ऑफ पावर

परियोजना इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुम्बई को ₹ 1.50 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (दिसम्बर 2007) एवं ₹ 0.75 लाख का व्यय हुआ। पीआई द्वारा पीसीआर जमा करने में तीन साल की देरी हुई थी। परियोजना जून 2008 में पूरी की गई और पीसीआर जून 2011 में प्रस्तुत किया गया। परियोजना की प्रगति की निगरानी विशेषज्ञों की किसी समिति द्वारा नहीं की गई।

बायोगैस रेफ्रिजरेटर फॉर अर्बन, सेमी अर्बन एण्ड रूरल एरिया एप्लीकेशन्स

परियोजना अगस्त 2008 में अन्नामलाई यूनिवर्सटी, तमिलनाडु को ₹ 11 लाख के लिए स्वीकृत हुई एवं ₹ 2.50 लाख का व्यय हुआ। परियोजना प्रस्ताव में उल्लेखित डिजाइन के अनुसार रेफ्रिजरेटर प्रणाली के निर्माण करने में प्रतिभागी उद्योग के विफल होने के कारण परियोजना पूरी नहीं हुई। फरवरी 2009 तक प्रस्तुत किए गए प्रगति प्रतिवेदन को ही अंतिम प्रतिवेदन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार उद्देश्यों को हासिल किए बिना ही परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया। एमएनआरई द्वारा किया गया ₹ 2.50 लाख का व्यय अनुपयोगी रह गया।

हाई एफिसिएन्सी बायौगैस जेनसेटस

परियोजना इंडियन इंस्टीटयूट आफ साइन्स, बैंगलौर को ₹ 33 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (सितम्बर 2008) एवं ₹ 26.53 लाख का व्यय हुआ। पीआई द्वारा पीसीआर जमा करने में आठ महीने की देरी हुई थी। परियोजना सितम्बर 2011 में पूरी की गई और पीसीआर जून 2012 में प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई पेटेंटे दायर नहीं किया गया था।

डेपलपमेंट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्टस एण्ड सेनिटेशन डिवाइस विद बायोगैस रिकवरी

परियोजना नेशनल इंस्टीटयूट फार इंटरडिसिफ्लनरी साइंस एण्ड टेक्नालाजी केरल को ₹ 19.89 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (सितम्बर 2008) एवं ₹ 24.89 लाख (जिसमें ₹ 5 लाख इंस्टीट्यूट प्रदत्ता शामिल) का व्यय हुआ। सितम्बर 2010 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना दो वर्ष से अधिक की देरी के बाद दिसम्बर 2012 में पूरी हुई। परियोजना की प्रगति की निगरानी विशेषज्ञों की किसी समिति द्वारा नहीं की गई। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था। इसके अलावा बायोगैस रिकवरी सिस्टम के साथ मॉड्यूलर हाउसहोल्ड वेस्टस सेनिटेशन डिवाइस जो उददेश्यों में से एक था, का विकास नहीं किया गया।

कंपरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एण्ड मास इमिशन्स ऑफ ऐन ऑटोमोटिव पैसेंजर व्हिकल फ्यूल्ड विद एनरिच्ड बायोगैस यूजिंग फिल्ड ट्रायल टेस्टस

परियोजना इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली को ₹ 18.09 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (मार्च 2011) एवं ₹ 11.71 लाख का व्यय हुआ। मार्च 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना चार महीने से अधिक की देरी के बाद जुलाई 2013 में पूरी हुई। पीसीआर के प्रस्तुत करने में एक वर्ष की और देरी हुई थी। पीसीआर जून 2014 में प्रस्तुत किया गया था। पीसीआर पर विशेषज्ञों की टिप्पणी प्रतीक्षित थी। मंत्रालय ने इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ मामले का फालोअप नही किया।

बायोगैस स्लरी हैंडलिंग एण्ड बायोमैन्यूर मैनेजमेंट

परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली की ₹ 16.91 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (मार्च 2011) एवं ₹ 8.45 लाख का व्यय हुआ। मार्च 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना नौ महीने से अधिक की देरी के बाद दिसम्बर 2013 में पूरी की गई। परियोजना की प्रगति की निगरानी विशेषज्ञों की किसी समिति द्वारा नहीं की गई। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था।

डेवलपमेंट ऑफ हयूमिक एसिड्स एक्सट्रेक्शन लैब स्केल प्लांट फॉर बायोगैस स्पेंट स्लरी एण्ड ईट्स डिस्सेमिनेशन फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन्स

परियोजना महाराना प्रताप यूनिवर्सटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नालाजी राजस्थान को ₹ 55.55 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (नवम्बर 2011) एवं ₹ 27.83 लाख का व्यय हुआ। परियोजना प्रस्ताव में पेटेंट दायर करने और शोध–पत्रों के प्रकाशन की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट दायर नहीं किया गया था तथा कोई शोध–पत्र किसी भी भारतीय/विदेशी पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं किया गया था।

डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड अल्ट्रासोनिकली ऐडेड बायोमिथेनशन प्लांट

परियोजना इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एण्ड मैटीरियल्स टेक्नोलाजी भुवनेश्वर, को ₹ 33 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (फरवरी 2008) एवं ₹ 12.50 लाख का व्यय हुआ। अगस्त 2010 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना दो वर्ष से अधिक की देरी के बाद अक्टूबर 2012 में पूरी की गई। परियोजना की प्रगति की निगरानी विशेषज्ञों के किसी समिति द्वारा नहीं की गई।

डेवलपमेंट ऑफ ए थर्मोफिलिक बायोडाइजेस्टर फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ ओर्गेनिक वेस्ट्स

परियोजना द एनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को ₹ 14.73 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (अक्टुबर 2008) एवं ₹ 9.53 लाख का व्यय हुआ। अक्टूबर 2010 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना तीन महीने से अधिक की देरी के बाद जनवरी 2011 में पूरी की गई। परियोजना की प्रगति की निगरानी विशेषज्ञों की किसी समिति द्वारा नहीं की गई। परियोजना प्रस्ताव में शोध–पत्रों के प्रकाशन की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस परियोजना के परिणाम के रूप में कोई शोध – पत्र किसी भी भारतीय/विदेशी पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं किया गया था।

पवन ऊर्जा प्रभाग

एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरीस्टिक्स ऑफ विंड टबाईन ब्लेडिंग

परियोजना पार्क कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी तमिलनाडु को ₹ 15.80 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (जुलाई 2010) एवं ₹ 9.30 लाख का व्यय हुआ। जून 2012 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना 23 महीने की देरी के बाद मई 2014 में पूरी की गई। ₹ 7.75 लाख के यूसी प्रस्तुत नहीं किए गए। परियोजना में उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गयी। पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था।

एवरीबॉडीज बैटरी चार्जर

परियोजना आर एम के इन्जीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु को ₹ 5.10 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (जून 2009) एवं ₹ 1.62 लाख का व्यय हुआ। दिसम्बर 2010 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना तीन वर्ष की देरी के बाद दिसम्बर 2013 में पूरी की गई। परियोजना में उद्योग की भागीदारी को शामिल नहीं किया गया। पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था।

विंड एनर्जी सेंटर ऐट अमृता यूनिवर्सटी, कोयंबटोर टू कंडक्ट डिप्लोमा कोर्स

परियोजना अमृता विश्व विद्या पीठम्, तमिलनाडु को ₹ 1.53 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (अगस्त 2010) एवं ₹ 93 लाख का व्यय हुआ। अगस्त 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना ₹ 93 लाख के व्यय के बाद मार्च 2013 में बीच में ही छोड़ दी गई। ₹ 17.01 लाख के यूसी प्रस्तुत नहीं किए गए।

हेल्थ/कंडीशन्स मेनटनिंग ऐट एक्सपेरिमेंटल विंड फॉर्म

परियोजना सेन्टर फार विन्ड एनर्जी टेक्नालाजी, तमिलनाडु को ₹ 40.89 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (जून 2010)। परियोजना दो चरणों में पूरी की जानी थी। परियोजना का पहला चरण जून 2011 में पूरा किया जाना था जिसे ₹ 36.22 लाख के व्यय के बाद अभी भी मार्च 2014 तक पूरा नहीं किया गया था। परियोजना में उद्योग की भागीदारी को शामिल नहीं किया गया और पीसीआर प्रस्तुत नहीं किया गया।

कैपेसिटी बिल्डिंग इन विंड मिल सेक्टर कंडक्टिंग ऑफ सर्टिफिकेट एण्ड डिप्लोमा कोर्स

परियोजना पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु को ₹ 1.67 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (अगस्त 2010)। अगस्त 2013 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना ₹ 55.66 लाख के व्यय के बाद मार्च 2013 में बीच में ही छोड़ दी गई। ₹ 6.22 लाख के यूसी प्रस्तुत नहीं किए गए। परियोजना में उद्योग की भागीदारी को शामिल नहीं की गई और पीसीआर प्रस्तुत नहीं किया गया।

पावर क्वालिटी इश्यूज़ इन ग्रीड कनेक्टेड विंड फॉर्म्स

परियोजना आरएमके इंजीनियरिंग कालेज, तमिलनाडु को ₹ 37.38 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (जुलाई 2009)। जून 2012 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना 18 महीने की देरी के बाद दिसंबर 2013 में पूरी की गई। ₹ 10.34 लाख की राशि के यूसी नहीं दिए गए। परियोजना में उद्योग की भागीदारी को शामिल नहीं की गई। पीसीआर का मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया था।

पावर इवेक्यूएशंस स्टडीज फार ग्रिड इंटीग्रेटेड विंड इनर्जी कनवर्जन सिस्टम

परियोजना अन्ना यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु को ₹ 16 लाख के वित्तीय परिव्यय के लिए स्वीकृत हुई (जून 2009) और ₹ 11.86 लाख का व्यय हुआ। दिसम्बर 2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना 23 महीने की देरी के बाद नवम्बर 2013 में पूरी की गई। ₹ 5.53 लाख के यूसी दिए नहीं गए। परियोजना में उद्योग की भागीदारी शामिल नहीं की गई और न ही पीसीआर का बाहरी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया था।